

INTEGRATED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

# मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में नेतृत्व

Leadership in Open and Distance Learning System

#### Vinod Kumar

Dept. of Education, MGAHV, Wardha, Maharashtra- 442001, India. Received: 20 July 2019 Accepted on: 1-Sept-2019 Published on: 19-Sept-2019

#### सारांशिका '

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL) प्रणाली उन अधिगमकर्ताओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करती है, जो अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे हुए हैं तथा अपनी दैनिक-पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए औपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस प्रणाली के अधिगमकर्ता वैश्विक स्तर पर फैले होते हैं, साथ ही साथ आयु, लिंग, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, पारिवारिक-माहौल, शैक्षिक-पारिस्थितिकी, तथा सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता रखते हैं। उक्त विभिन्नताओं एवं चुनौतियों के बावजूद मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली एक सुदृढ़ प्रशासन एवं प्रबंधन तंत्र के माध्यम से 'सभी के लिए शिक्षा' को सुलभ बना रही है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के सफल 'प्रशासन एवं प्रबंधन' में नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इस शोध-लेख के माध्यम से शोधार्थी यह स्पष्ट करना चाहता है कि मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली का प्रशासन एवं प्रबंधन कैसे होता है?, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के प्रशासन एवं प्रबंधन में 'नेतृत्व की संकल्पना' क्या है? तथा नेतृत्व इस प्रणाली में प्रबंधन भूमिका के निर्वहन में कैसे सहायक है? अर्थात इस शोध लेख में शोधार्थी का मुख्य सरोकार मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के अंतर्गत प्रशासन एवं प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन है। इसके लिए शोधार्थी ने विषयवस्तु-विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए उपलब्ध साहित्य को सन्दर्भ बनाते हुए अपना निर्वचन प्रस्तुत किया है।

बीज शब्द : मुक्त शिक्षा की अवधारणा, मुक्त एवं दरस्थ शिक्षा प्रणाली, नेतृत्व, शैक्षिक नियोजन तथा शैक्षिक प्रबंधन एवं समन्वयन ।

#### **Abstract:**

The Open and Distance Learning (ODL) system ensures access to education to learners who are scattered over a wide geographical area and are unable to receive education through a formal system while fulfilling their daily-family responsibilities. The recipients of this system are spread globally, as well as age, gender, intelligence, personality, family-environment, educational-ecology and socio-economic and cultural diversity. Despite the above variations and challenges, the Open and Distance learning system is making education accessible to all through a strong administration and management system. Leadership is the most important role in successful 'administration and management' of Open and Distance learning systems. That is why through this research article, the researcher wants to clarify how the administration and management of Open and Distance learning systems is done. What is the 'concept of leadership' in the administration and management of Open and Distance learning? And how is leadership helpful in discharging the management role in this system? That is, the main concern of the researcher in this research article is the study of the role of leadership in administration and management under the Open and Distance learning system. For this, the researcher has presented his interpretation by making reference to the available literature using the content-analysis method.

**Key Words:** Concept of Open Education, Open and Distance Education system, Leadership, Educational Planning and Educational Management and Co-ordination.

विनोद कुमार

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र ।

ई-मेल: vinodpal334@gmail.com

-----

Cite as: *Integr. J. Soc. Sci.*, 2019, 6(2), 65-69.

©IS Publications IJSS ISSN: 2348-0874

http://pubs.iscience.in/ijss

#### प्रस्तावना

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL), शिक्षण-अधिगम की एक विशेष प्रणाली है। जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी को स्थान-विशेष (शैक्षणिक-संस्थान) तथा समय-विशेष (संस्थान की दैनिक-कार्यावधि) पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं रहती है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली, शिक्षण-अधिगम के तौर-तरीक़ों तथा समय-निर्धारण के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश संबंधी मानदंडों के संबंध में थोड़ी शिथिलता बरतती है। उच्च स्तर पर मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में कुछ केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय तथा विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में दोहरी पद्धित के परंपरागत विश्वविद्यालयों के

पत्राचार पाठ्यक्रम वाले संस्थान भी शामिल किए जाते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली सतत शिक्षा, सेवारत कार्मिकों के क्षमता-उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तामूलक व तर्कसंगत शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में आमने-सामने (Face to Face) की बाध्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रणाली में शिक्षा अधिगमकर्त्ता के द्वार तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली सम्पूर्ण जगत को अपना क्षेत्र मानती है। अधिगमकर्त्ता किसी भी स्थान पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। बहुत विस्तृत क्षेत्र होने के नाते इस प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा से संबंधित समस्त व्यावहारिक क्रिया- कलापों के क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है। वास्तव में एक बालक के घर से कोर्स जाने हेतु तैयार होने के पहले से लेकर कोर्स से बाहर निकलकर अपने सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन में वह कैसा व्यवहार करेगा तथा अपने व्यवहार से किस प्रकार समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा, की तैयारी तक की समस्त क्रियाएं शैक्षिक प्रशासन का अंग होती हैं। इसी विचार को ब्रुक एडम्स ने व्यक्त करते हुए कहा है कि ''शिक्षा प्रशासन में अनेकों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। यह परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को इस प्रकार जोड़ता है कि सब एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं" (सिंह एवं राय, 2015)। शैक्षिक प्रशासन केवल शैक्षिक संगठनों के प्रशासन तक सीमित नहीं है। बल्कि एक अच्छी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था बालक को भावी नागरिक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जिससे विद्यार्थी देश, काल और परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना विकास करता है। इस प्रकार देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन केवल कोर्स जीवन का प्रशासन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जीवन का प्रशासन है। हम अपने बालकों के लिए जितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे, वे संस्थानों से निकलकर समाज और राष्ट्र निर्माण में उतना ही अच्छा योगदान दे सकेंगे। शैक्षिक-प्रशासन अन्य प्रकार के संगठनों के प्रशासन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा हमें भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है तथा आने वाली पीढ़ियों तक सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण करती है। इसलिए शैक्षिक प्रशासन केवल विद्यालयी प्रशासन नहीं है बल्कि यह विद्यार्थियों के सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन और राष्ट्र-निर्माण का भी प्रशासन है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ने शैक्षिक प्रशासन के बारे में कहा है कि ''शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिनके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके" (सिंह & राय, 2015)। जिस प्रकार एक व्यावसायिक संगठन के सफल प्रशासन हेत् उसे विभिन्न विभागों, यथा- वित्त, कार्मिक, उत्पादन प्रबंधन आदिक में अलग-अलग बांटा जाता है। ताकि कोई विभाग अन्य किसी विभाग में दख़ल न दे तथा अपना प्रा ध्यान अपने काम पे लगाकर अपने दायित्त्वों का अधिकतम निर्वहन कर सके। ठीक उसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन व्यवस्थित ढंग से होता रहे, इसीलिए हमारे देश में ''कोठारी आयोग (1964-66) के सुझाव पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के माध्यम से पहली बार भारत सरकार ने पूरे देश में एक नई शिक्षा संरचना (10+2+3) लागू करने पर बल दिया" (लाल & कान्त, 2013)। विचारणीय है कि केंद्र सरकार में बदलाव के फलस्वरूप इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा सका। अंततः ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के माध्यम से पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना (10+2+3) अनिवार्य रूप से लागू किया गया" (लाल & कान्त, 2013)। उक्त संरचना के आधार पर वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक (प्रथम पाँच वर्ष की शिक्षा), उच्च प्राथमिक (6 से 8 वर्ष तक की शिक्षा), माध्यमिक (9 से 10 वर्ष तक की शिक्षा), उच्चतर माध्यमिक (10+2 अर्थात 11 से 12 वर्ष तक की शिक्षा) तथा उच्च शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक के बाद की सम्पूर्ण शिक्षा) के रूप में संचालित है। उक्त शिक्षा संरचना को ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने भी स्वीकार किया है। चूँकि मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में अधिगमकर्त्ता और अध्यापक एक ही स्थान पर एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं; न ही औपचारिक शिक्षण होता है। इसलिए मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में

नेतृत्व की भूमिका शैक्षिक क्रिया-कलापों के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण होता है।
मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में नेतृत्वकर्त्ता (कुलपित, विभागाध्यक्ष, कोर्स निदेशक,
समन्वयक, क्षेत्रीय केंद्र निदेशक आदि) की ज़िम्मेदारी औपचारिक संस्थाओं के
शिक्षकों/प्रशिक्षकों की तुलना में कहीं अधिक होती है। क्योंकि इनका सामना ऐसे
अधिगमकर्त्ताओं से होता है, जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से बहुत अलग होते हैं।
मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में शिक्षार्थी शारीरिक, मानसिक और उम्र (आयु) में काफी
विस्तार (अन्तर) रखते हैं। इस प्रणाली में अधिगमकर्त्ता दूर-दूर तक बिखरे रहते हैं।
अर्थात उनके वैयक्तिक विभिन्नताओं के साथ ही साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक,
सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिवेश में बहुत अन्तर होता है। जिसका प्रभाव उनके
अनुभव (पूर्व-ज्ञान) पर स्पष्टतः पड़ता है और उनका अधिगम भी प्रभावित होता है।
जहाँ एक विद्यार्थी एक निश्चित कोर्स में पहली बार (बिना उसके जैसे/समकक्ष अन्य
कोर्स के अनुभव के) प्रवेश लेता है, वहीं संभव है कि उसी के कोर्स में उसी के साथ
प्रवेश लेने वाले अन्य विद्यार्थी उस कोर्स के समकक्ष अन्य कोर्स पहले ही कर चुके हों
तथा उस अनुभव के साथ इस कोर्स में प्रवेश लिया हो। मसलन मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली
के प्रशासन एवं प्रबंधन में नेतृत्व औपचारिक प्रणाली की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण
होता है।

### मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा :

'दूरस्थ-शिक्षा' शब्द से आशय है कि दूर से ही प्राप्त होने वाली शिक्षा। हम ऐसी शिक्षा को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु अधिगमकर्त्ताओं को शिक्षा-केन्द्रों (विद्यालयों) में नियमित रूप से निश्चित समय- सारिणी के अनुसार उपस्थित नहीं होना पड़ता है। अर्थात दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में बिना आमने-सामने उपस्थित हुए अर्जित की जाती है। बेडमीयर (1977) ने 'दूरस्थ शिक्षा' शब्द को मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अधिगम व दूरवर्ती अध्ययन (शिक्षा) के रूप में प्रयुक्त किया है। स्वतंत्र अध्ययन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होने लिखा है- ''स्वतंत्र अध्ययन विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं का समुच्चय है, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक दूसरे से दूर होते हुए भी अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं; विभिन्न सम्प्रेषण प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु कक्षा के अनुपयुक्त स्थानों तथा प्रारूपों से मुक्त रखना, विद्यालय से बाहर के शिक्षार्थियों को उनके अपने वातावरण में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करना एवं स्वत: निर्देशित अधिगम की क्षमता विकसित करना''। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में न तो विद्यार्थी एवं अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होते हैं और न ही औपचारिक रूप से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाता है; बल्कि इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं विभिन्न संसाधनों एवं सामग्रियों (संदर्भ पुस्तक, ई-पुस्तक, संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया अध्ययन सामग्री, इन्टरनेट आदिक) की सहायता से अधिगम करता है। आवश्यकता पड़ने पर अधिगमकर्त्ता अध्यापकों से संपर्क करके अपने सवालों-जिज्ञासाओं एवं संदेह को दूर करते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा विस्तृत भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हुए अधिगमकर्त्ताओं की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति प्रदान करने का एक माध्यम है। 'द्रस्थ शिक्षण को अनुदेशन विधियों के समुच्च (समूह) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार (प्रक्रिया) से अलग अर्थात् कहीं दूर पर सम्पन्न किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत छात्र की अनुपस्थिति में सम्पन्न होने वाली क्रियाएँ भी सम्मिलित होती हैं। अत: शिक्षक एवं अधिगमकर्त्ता के मध्य मुद्रित/अमुद्रित सामग्री को सम्प्रेषण के विभिन्न इलेक्ट्रानिक, यांत्रिक एवं अन्य साधनों से सुगमतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है' (मूरे, 1972)। यह एक नवाचारी शिक्षा प्रणाली है। इस उपागम में परम्परागत शिक्षा की मौखिक अनुदेशन की विधियों का प्रयोग कभी-कभी विशेष कक्षाओं का आयोजन करके ही किया जाता है। इसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा सम्प्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक उपयोग किया जाता है। अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय कोर्स के

उद्देश्यों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी समुचित ध्यान रखा जाता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मुद्रित एवं अमुद्रित अध्ययन सामग्री को संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा अधिगमकर्ताओं तक संप्रेषित किया जाता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा की ऐसी प्रणाली है, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से सुसम्बद्ध है। इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों का विकास इस प्रणाली में सर्वाधिक मददगार है। इस शिक्षा प्रणाली ने अधिगम की नवाचारी विधियों को जन्म दिया है।

### मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं :

- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर के विभिन्न केन्द्रों पर उनकी पढ़ाई होती है।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली सूचना क्रांति और इन्टरनेट के कारण आसान एवं अधिक प्रासंगिक हो गयी है।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के अंतर्गत विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑनसाइट लर्निंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़िरए विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में रहकर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं।
- मृक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में विद्यार्थी अपनी आवश्यकतानुसार अपने पढ़ने की समय-सारणी बना सकते हैं।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली से पढ़ाई करने की फीस काफी कम होती है।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में विद्यार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में काम (जॉब) करने के साथ-साथ पढ़ाई की जा सकती है।
- 💠 कम अंक आने पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल जाता है।
- ❖ किसी भी कोर्स के लिए उम्र बाधा नहीं होती है।
- दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'पाठ्य सामग्री तैयार करना' है। इसमें शिक्षक सामने नहीं होते। इसलिए पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का काम करता है।
- साधारण कोर्स के साथ ही वोकेशनल कोर्स तथा प्रोफेशनल कोर्स भी द्रस्थ शिक्षा के माध्यम से किये जा सकते हैं।

### भारत में मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय:

भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। जिनमें केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा कुछ प्राइवेट एवं डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं। जहां तक सवाल मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालयों की है तो कुछ केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय केवल मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा कुछ विश्वविद्यालय अपने नियमित अधिगम माध्यम के साथ ही साथ दूरस्थ माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

### तालिका- प्रथम : भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	संख्या
01.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	48
02.	प्राइवेट विश्वविद्यालय	334
03.	राज्य विश्वविद्यालय	399
04.	डीम्ड विश्वविद्यालय	126
	कुल	907

स्रोत: https://www.ugc.ac.in

तालिका-प्रथम से स्पष्ट है कि मार्च, 2019 तक भारत में कुल 907 विश्वविद्यालय हैं। जिनमें से 889 विश्वविद्यालय औपचारिक शिक्षण-अधिगम प्रणाली वाले हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर विश्वविद्यालय औपचारिक शिक्षा के साथ ही साथ मुक्त शिक्षा प्रणाली को भी संचालित करते हैं। इसके लिए नियमित स्वरूप वाले ये विश्वविद्यालय अपने कैंपस में अलग से दूर शिक्षा केंद्र की स्थापना करते हैं। शेष 18 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। जिनका विवरण अग्रलिखित है-

### तालिका-द्वितीय : भारत में मुक्त विश्वविद्यालय

क्र.	राज्य	विश्वविद्यालय	संख्या
01.	अरुणांचल प्रदेश	वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय, इटानगर	01
02.	असम	कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, दिसपुर	01
03.	बिहार	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	01
04.	छत्तीसगढ़	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर	01
05.	गुजरात	डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गांधीनगर	01
06.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय, कर्नाटक	01
07.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	01
08.	महाराष्ट्र	1- सिम्बोइसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, मुंबई 2- यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	02
09.	नागालैंड	द ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, नागालैंड	01
10.	उड़ीसा	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर	01
11.	राजस्थान	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान	01
12.	तमिलनाडु	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई	01
13.	तेलंगाना	डॉ. भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	01
14.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	01
15.	उत्तराखंड	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल	01
16.	पश्चिम बंगाल	नेताजी सुभास मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	01
17.	नई दिल्ली	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (के. वि.)	01

स्रोत : www. ugc.ac.in

तालिका-द्वितीय के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में मार्च, 2019 तक कुल 18 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। भारत में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक्ट, 1985 के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा समिति (DEC) की स्थापना किया गया। दूरस्थ शिक्षा समिति भारत के सभी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को विनियमित, प्रोत्साहित एवं संचालित करती है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के सफल संचालन हेतु प्रशासन एवं प्रबंधन में नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ होता है।

## मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में नेतृत्व :

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था में समन्वयक/अनुदेशक अपने कोर्स के संगठन (शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ) का मुख्य नेतृत्वकर्त्ता होता है। वह समस्त मानवीय संसाधनों को एक साथ लेकर एक टीम (कोर्स -स्टॉफ) का निर्माण करता है। संगठन (कोर्स) के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेत् अपनी टीम का संचालन एवं मार्गदर्शन करता है, जिसे हम नेतृत्व कहते हैं। ''समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है" (कुन्त्ज एवं डोनेल, 1959)। वास्तव में नेतृत्व एक कार्य-व्यवहार है, जो अपने अनुयायियों (अधीनस्थों) को संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्रभावित करता है। कुछ इसी तरह जार्ज आर. टेरी (1954) ने नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें"। किसी भी संगठन की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है। कभी-कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में नेतृत्वकर्त्ता की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। तब वह उस परिस्थिति से निपटने हेत् विशेष रणनीति बनता है, जिसे हम सभी परिस्थितिजन्य नेतृत्व कहते हैं। जैसा कि रॉबर्ट टेननबाम (1959) ने कहा है कि ''नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है"।

### मुक्त एवं दुरस्थ अधिगम हेतु शैक्षिक नियोजन :

नियोजन भविष्य में आने वाली समस्याओं का एक प्रकार का प्रासंगिक पूर्वाभास या समस्या-विरोध को दूर करने की प्रक्रिया है। यह किसी भी संस्था के लिए तात्कालिक एवं भावी लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करने के साधन के रूप में भी जाना जाता है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में समन्वयक/अनुदेशक अपने कोर्स के लिए एक निश्चित लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक सुनियोजित योजना तैयार करते हैं। सुनियोजित योजना में कब, क्या, कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा, इसका विस्तृत विवरण होता है। अर्थात यह भविष्य की ओर ध्यान देते हुए कार्य प्रारंभ होने से पहले बनाई गई योजना होती है।

जिसके आधार पर समन्वयक/अनुदेशक अपने समस्त क्रिया-कलापों को सुचारु ढंग से सम्पन्न करते हैं। वास्तव में "नियोजन औपचारिक एवं विवेकपूर्ण क्रियाओं का एक समुच्चय है, जिसके द्वारा भविष्य में आने वाली स्थितियों, दशाओं और चुनौतियों का पूर्वाभास करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कर्मचारियों तथा संस्था को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने तथा इष्टतम साधनों के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर बनाया जा सके" (नेजविच, 1984)। समन्वयक/अनुदेशक एक नियोजनकर्त्ता के रूप में कोर्स के दैनंदिन कार्य-प्रणाली के लिए योजना बनाते हैं तथा उसके अनुसार ही समस्त क्रिया-कलापों का क्रियान्वयन होता है। अतः विद्यालयों में

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु शैक्षिक आयोजना बहुत जरूरी है। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता के अन्य कारण भी हैं, जिनका वर्णन भटनागर एवं अग्रवाल (पृष्ठ : 174-175) ने इस प्रकार किया है-


- 1. नियोजन संगठन की सफलता को सुनिश्चित करता है।
- 2. प्रभावशाली नियोजन के द्वारा समय, श्रम और धन की बचत होती है।
- 3. नियोजन से समस्या-समाधान में त्रुटि कम हो जाती है।
- 4. नियोजन समय के साथ चलने के लिए आवश्यक है।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में शैक्षिक आयोजना के निर्माण में समन्वयक /अनुदेशक को अपने साथ कोर्स संबंधित समस्त स्टाफ को शामिल करना चाहिए। तािक सभी लोग मिलकर अपने-अपने अनुभव के हिसाब से व्यक्तिगत उद्देश्यों को संस्था के उद्देश्य के साथ समायोजित करते हुए एक श्रेष्ठ योजना का निर्माण कर सकें। यदि समन्वयक/अनुदेशक अकेले ही योजना का निर्माण करेगा तो मुमिकन है कि उसके क्रियान्वयन में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का उतना सहयोग न मिले, जितना कि उन सभी को शामिल करने के बाद बनायी गई योजना के क्रियान्वयन में मिलता है।

# मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम का प्रबंधन :

समन्वयक/अनुदेशक कोर्स के लिए आवश्यक सामग्री (पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप) का प्रबंधन करता है। अधिगमकर्ताओं का अधिगम सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके, इसके लिए श्रेष्ठ मैटर को तैयार करके/करवा के विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रबंध भी करता है। ''पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया ही प्रबंध है। प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है" (टेरी, 1954)। समन्वयक/अनुदेशक कोर्स के लिए आवश्यक भौतिक, तकनीकी, एवं मानवीय संसाधनों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, तथा ई-अधिगम सामग्री आदिक की उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा उच्चतम शैक्षणिक अधिगम हेतु; कैसे इनका सद्पयोग करें, इसके लिए वह सभी (भौतिक तथा ई-अधिगम सामग्री, तकनीकी, सैद्धांतिक एवं मानवीय) संसाधनों का न केवल प्रबंध करता है बल्कि उनमें सामंजस्य और समन्वय भी स्थापित करता है। जैसा कि राय एवं सुखिया (2017) ने रॉबिंसन को उधृत करते हुए लिखा है कि ''कोई भी संस्था या व्यवसाय स्वयंमेव नहीं चल सकते, चाहे वह संवेग (गतिशील) की स्थित में ही क्यों न हो। उनको चलाने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। जिस तरह मानव देह मस्तिस्क के अभाव में हाड़-मांस का एक लोथड़ा मात्र होता है, उसी प्रकार प्रबंध के अभाव में सभी साधन भी निष्क्रिय होते हैं"।

शोधार्थी ने मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम में प्रबंधन दायित्व को अग्रलिखित ढंग से अभिव्यक्त किया है-



वर्तमान समय में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समन्वयक/अनुदेशक की प्रबंधकीय भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। विचारणीय है कि भले ही हम एक बहुत अच्छी योजना बना लें तथा आवश्यक संसाधन भी जुटा लें, परंतु यदि प्रबंधन श्रेष्ठतम ढंग से नहीं किया गया तो कोर्स अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकेगा।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में समन्वयन :

समन्वयक/अनुदेशक कोर्स में उपस्थित समस्त मानवीय एवं अमानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करता है; तािक विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम हित में उनका उपयोग किया जा सके। वह अपने द्वारा बनायी गयी योजना में समय-समय पर पिरमार्जन करता है और उपस्थित संसाधनों का कोर्स की जरूरत के हिसाब से प्रयोग करता है। जिसका पिरणाम यह होता है कि कोर्स का दैनंदिन कार्यक्रम सुचारु ढंग से संपादित होता रहता है तथा विद्यार्थियों का शिक्षण-अधिगम भी प्रभावशाली होता है। समन्वयन के द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में कोर्स-प्रदायी संस्थानों का पूर्ण सहयोग मिलता है। समन्वयक/अनुदेशक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समन्वयन करना होता है। न केवल वह मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करता है बल्कि वह गैर मानवीय संसाधनों का सामंजस्यपूर्ण समुचित सदुपयोग भी करता है। जिसके पिरणामस्वरूप वह अपने कोर्स के निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। समन्वयक/अनुदेशक के सामने एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि वह संस्थागत लक्ष्यों तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों में सामंजस्य कैसे पैदा करें, तािक मानवीय संसाधन संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। निष्कर्ष-

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इस प्रणाली के सफल संचालन में नेतृत्व का विशेष योगदान होता है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली में कोर्स समन्वयक/अनुदेशक समस्त क्रिया-कलापों का आयोजक-व्यवस्थापक होता है। सभी कार्यक्रम उसी के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। वह अपने नेतृत्व कौशल का समुचित प्रयोग करते हुए अपनी विभिन्न भूमिकाओं यथा- शैक्षिक नियोजक, प्रबंधकर्त्ता, समन्वयक, नेतृत्वकर्त्ता, और सम्प्रेषणकर्त्ता द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के बहुसांस्कृतिक अधिगमकर्ताओं के सुचारु अधिगम हेतु एक खुशनुमा शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के

सफल संचालन हेतु शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में सफल नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रणाली में अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विभिन्न आयु, लिंग एवं अनुभव के अधिगमकर्त्ता होते हैं। उन सब की समझ एवं जरूरतें अलग-अलग होती हैं। जिसे बिना सुदृढ़ एवं सफल नेतृत्व प्रणाली के पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

#### References:

- Lal, R. B. & Kant, K. (2013). Bharatiya Shiksha Ka Itihas, Vikas Evam Samasyaen. R. Lal Book Deepo, Merath. 264-288.
- 2. Singh, Ji & Rai, A. K. (2015). Shiksha Prashasan Evam Prabandhan, R. Lal Book Deepo, Merath. 27-28.
- **3.** Gupta, R. C. (2007). Prabandh ke Siddhant, Agrawal Publications, Agra.
- **4.** Rai, M. & Sukhiya, S. P. (2017), Shaikshik Prashasan, Prabandhan, Paryavaran evam Svchchhata, Agrawal Publications, Agra. 116.
- **5.** Tomar, G. S. (2016), Shiksha Prashasan Evam Prabandhan, R. Lal Book Deepo, Merath. 173.
- Bhatanagar, R. P. & Agrawal, B. Shaikshik Prashasan, Layal book Deepo, Merath. 174-175.